कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) उर्वरकों की बड़े पैमाने पर काला बाजारी और जमाखोरी की कोई रिपोर्ट नहीं है, जिससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। कृषकों को उचित मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में से कुछ मुख्य उपाय नीचे दिए गए हैं:

(1) उर्वरक के मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत विनियमित किए जाते है और कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम मूल्य अथवा विनिर्माताओं द्वारा थैलों पर लिखे गए मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री करने पर कानूनी कार्यवाही करने के अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किए गए हैं।

(2) खुदरा विक्रेताओं को स्टॉक की दैनिक स्थिति तथा उर्वरकों के अधिकतम मूल्य स्पष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक है।

(3) भारत सरकार तथा राज्य सरकारें समय-समय पर उर्वरक विनिर्माताओं के साथ संयुक्त तथा अलग-अलग रूप से सर्वाधिक खपत के मौसम के दौरान विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धि की समीक्षा करती है ताकि इनकी कमी से होने वाली कालाबाजारी को रोका जा सके। इसके बाद खामियों को दूर करने, परिवहन व्यवस्था में तेजी लाने और उपलब्धता में वृद्धि करने संबंधी उपाय भी किए जाते है।

(4) मूल्यवृद्धि के समय राज्य सरकारों से अपनी प्रवर्तन मशीनरी को सतर्क करने का अनुरोध किया जाता है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि उर्वरकों के पुराने स्टॉक की बिक्री किसानों को संशोधन से पहले के मूल्यों पर ही की जाए।

(5) नियंत्रक मुक्त उर्वरकों को घटी दरों पर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने 340 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिसमें से डी०ए०पी० तथा एम०ओ०पी० पर 1000 रुपये प्रति टन का मूल्य समर्थन तथा मिश्रित उर्वरकों पर अनुपातिक समर्थन दिया जा रहा है। छोटे तथा सीमान्त कृषकों के लिए, जिनके पास विपणन अधिशेष नहीं है और जिनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से क्षतिपूर्ति होने की संभावना नहीं है, केन्द्र सरकार ने 500 करोड़ की लागत वाली एक योजना की घोषणा की है ताकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए उन्हें मदद की जा सके।

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को दी गयी सहायता

2837. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायी गयी सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आगामी वर्ष के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश ने वृहत फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन केवल 1989-90 में, रबी 1989-90 मौसम के दौरान किया था। उत्तर प्रदेश में, इस योजना के अंतर्गत अदा किए गए क्षतिपूर्ति दावों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण प्रपत्र में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) चूंकि, उत्तर प्रदेश सरकार इस समय वृहत फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन नहीं कर रही है इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	अदा किए गए क्षति-पूर्ति दावों की कुल राशि (100 प्रतिशत) (लाख रुपये में)
1.	बांदा	1.26
2.	हमीरपुर	2.44
3.	ललितपुर	0.26
4.	जालौन	3.75
5.	नैनीताल	54.70
6.	पिथौरागढ़	0.25
7.	मिर्जापुर	0.02
8.	झांसी	नगण्य
9.	देहरादून	0.06
10.	एटा	0.06
11.	आगरा	0.01
	योग:	62.81